



सेबी के नए मानदंड और वदेशी पोर्टफोलियो नविश

संदर्भ

हाल ही में एसेट मैनेजरस राउंडटेबल ऑफ इंडिया (वदेशी धन से संबंधित एक संघ) ने चेतावनी जारी की थी कि भारतीय परतभूत एवं वनिमिय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी एक परपित्त्र के कारण भारतीय इक्विटी बाजारों से संभवतः 75 बिलियन डॉलर का प्रवाह देश से बाहर की ओर हो सकता है।

वदेशी पोर्टफोलियो नविश किसी देश में धनराशिकी प्रवर्षिका वह तरीका है जिसमें किसी भी देश का नागरिक किसी अन्य देश के बैंक में धन जमा करता है खरीदारी करता है।

सेबी द्वारा जारी परपित्त्र

- सेबी ने 10 अप्रैल, 2018 को वदेशी पोर्टफोलियो नविशकों (FPIs) के लिये KYC (Know Your Client) मानदंडों में वृद्धि से संबंधित एक परपित्त्र जारी किया था और द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी FPIs से उनके लाभार्थी मालिकों (Beneficial Owners- BO) की एक सूची प्रदान करने के लिये कहा था।
- इस परपित्त्र के अनुसार, नवासी भारतीय, अनवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के वदेशी नागरिक भारत में नविश किये जाने वाले फंड के लिये लाभार्थी मालिक नहीं हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नामिती (nominee) को भी FPI का लाभार्थी मालिक नहीं माना गया है।
- लाभार्थी मालिक (BO) वह है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व का लाभ प्राप्त करता है।
- कंपनी या ट्रस्ट की संरचना वाले FPIs के BOs को स्वामित्व हति (जिसी स्वामित्व या अधिकार के रूप में भी जाना जाता है) और नियंत्रण के आधार पर पहचाना जाना चाहिये। साझेदारी फर्म और व्यक्तियों के असंगठित संगठनों के मामले में BOs को स्वामित्व या अधिकार के आधार पर पहचाना जाना चाहिये।
- स्वामित्व हति और नियंत्रण के मामले में FPI के BO की पहचान के लिये भौतिकता की सीमा कंपनी के मामले में 25% और साझेदारी फर्म, ट्रस्ट तथा व्यक्तियों के असंगठित संघ के मामले में 15% होगी।
- 'उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार' (high risk jurisdictions) से आने वाले FPI के संदर्भ में मध्यस्थ BO की पहचान करने की लिये 10% की न्यूनतम भौतिकता सीमा लागू की जा सकती है और श्रेणी-III FPI के लिये लागू KYC दस्तावेज़ भी सुनिश्चित किये जा सकते हैं।
- यदि कोई भी इकाई इन सीमाओं को पूरा नहीं करती है, तो FPI का वरषिष्ठ प्रबंध अधिकारी नामिती BO होगा।
- वकीलों/लेखाकारों जैसे सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधित्व वाली कंपनियों/ट्रस्टों के मामले में FPI को उन कंपनियों/ट्रस्ट के असली मालिक/प्रभावी नियंत्रकों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिये।
- NRIs और OCIs केवल इसी शर्त पर FPI लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं कि वे अपनी भूमिका को केवल नविश सलाहकारों तक सीमित रखें और अपने पैसे का नविश नहीं कर सकते हैं।
- नियामक ने श्रेणी II और III के FPIs से BO के नाम और पते का खुलासा करने के लिये कहा था।
- श्रेणी II के FPI में बड़े पैमाने पर वनिमियमिती संस्थान, व्यक्तियि, व्यापक-आधारित फंड और वशिववदियालय, पेंशन तथा एंडॉवमेंट फंड शामिल हैं।

परपित्त्र जारी करने के पीछे सेबी का उद्देश्य

- हालाँकि नियामक द्वारा इस परपित्त्र को जारी करने के पीछे स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है लेकिन यह माना जा सकता है कि मनी-लॉन्डरिंग और राउंड ट्रपिंग (ब्लैक मनी जो वदेशों में जाकर फिर से व्हाइट मनी में तब्दील हो जाती है और वापस उसी देश में नविश के रूप में लौट आती है) पर चर्चाओं ने इस नरिदेश को प्रेरित किया होगा।

FPIs क्यों महत्वपूर्ण है?

- FPI इस लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भारतीय शेयर बाजारों के लिये प्रमुख नविशक रहे हैं।

क्यों खुश नहीं हैं वदेशी पोर्टफोलियो नविशक?

- वर्तमान में FPIs को एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में 10% तक नविश करने की अनुमति है। सेबी ने अब कहा है कियदिउनके पास एक ही BO है तो उनकी नविश सीमा को और अधिक बढ़ाया जाएगा।
- दूसरा, अभी तक ऑफशोर फंड के BO को नरिधारति करने के लिये आर्थिक स्वामतिव बुनयिादी मानदंड रहा है। इसका मतलब है कएक फंड में अधिकाँश हसिसेदारी रखने वाली इकाई को BO माना जाता है। लेकनि नए परपित्तर में नयिामक ने FPIs से शेयरहोल्डिंग और नयित्तरण दोनों के आधार पर स्वामतिव नरिधारति करने के लिये कहा है।
- इस संदर्भ में नयित्तरण का मतलब अन्य प्रशासनिक अधिकारों के साथ नदिशकों को नयिकृत करने और हटाने का अधिकार है।
- सेबी ने कहा है क उच्च जोखमि वाले राष्ट्र अधिकि कठोर KYC मानदंडों के अंतर्गत आएंगे।

सेबी द्वारा गठित समिति

- FPIs को राहत देते हुए हाल ही में सेबी द्वारा रजिस्त्र बैंक के पूर्व डपिट्टी गवर्नर एच आर खान की अध्यक्षता वाली समिति ने पहले परपित्तर के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं।

समिति के सुझाव

सेबी द्वारा नयिकृत समिति ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं:

- अनविासी भारतीयों, वदिशों में भारतीय नविासी और नविासी भारतीयों को वदिशी फंडों का प्रबंधन करने की अनुमति दी जानी चाहिये जो कुछ शेयर धारण की सीमाओं के अंतर्गत भारत में नविश करते हैं।
- FPI के प्रबंधन के तहत एक एकल NRI, OCI या RI संपत्तियों का 25% से अधिक धारण नहीं कर सकते और वदिशी संस्थाओं के नविश में ऐसी इकाइयों की कुल शेयर धारण क्षमता 50% से कम होनी चाहिये।
- FPI के वरषिठ प्रबंधकों और सूचीबद्ध संस्थाओं के लाभकारी मालिकों की पहचान के संबंध में परवित्तनों का सुझाव दिया गया है।
- सेबी को धन-शोधन रोधी कानून (PMLA) के तहत नरिधारति लाभार्थी मालिक की परभिषा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
- उच्च जोखमि वाले अधिकार क्षेत्र को परभिषति करने के लिये एक और उद्देश्य पूर्ण मानदंड वकिसति करने हेतु केंद्र से परामर्श करने का भी सुझाव दिया गया है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/why-sebil-new-norms-spooked-FPIs>

